

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2010/डी-457

दिनांक: 4/3/2010

कार्यवाही विवरण

विषय:- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 92 वीं बैठक दिनांक 25.02.2010 को मध्याह्न 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विवरण	निर्णय	अनुपालना
1.	92.1	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 91 वीं बैठक दिनांक 04.02.2010 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं निर्णयों के क्रियान्विती की समीक्षा।	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 91 वीं बैठक दिनांक 04.02.2010 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं निर्णयों के क्रियान्विती की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया। जविप्रा (जयपुर रीजन विनियम) 2010 के संबंध में विचार विमर्श किया गया। यह भवन विनियम राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से अर्थात् दिनांक 19 फरवरी 2010 से प्रभावी होंगे। दिनांक 19 फरवरी 2010 व उसके उपरान्त प्रस्तुत सभी प्रकरणों का निस्तारण जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा। परन्तु भवन विनियम 2010 के बिन्दु संख्या 19.3 के प्रावधानों के तहत भी कार्यवाही संभव हो सकेगी।	
2.	92.2	भूखण्ड संख्या 1, 2, 3, व 4 एमजीएफ मॉल बाईस गोदाम सर्किल “सी” स्कीम जयपुर के निर्मित भवन के अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा जो अतिरिक्त निर्माण किया गया है उसे हटाया जावे। टैरेस फ्लोर पर निर्मित किये गये स्विमिंग पूल पर चेन्ज रूम की कोई स्वीकृति जविप्रा द्वारा नहीं ली गई है। अतः इसे हटाया जावे। सौर ऊर्जा उपकरण टैरेस फ्लोर पर स्थापित किये जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर पुनः प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।	

3.	92.3	भूखण्ड संख्या 1 व 2, गोविन्द मार्ग, जनता कोलोनी, जयपुर के जारी अस्थायी अधिवास प्रमाण पत्र की पुष्टि बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि संस्था की पत्रावली अभी प्राप्त नहीं हुई है। अतः अस्थायी अधिवास प्रमाण पत्र को Withdraw किया जावे तथा पत्रावली प्राप्त होने पर सम्पूर्ण भवन की जांच कर प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।	
4.	92.4	खसरा नम्बर 363 (नया खसरा नम्बर 487, 488, 490) ग्राम गोपालपुरा जयपुर के आवासीय फ्लैट्स के संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। 2. सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक है अतः पर्यावरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>	
5.	92.5	खसरा नम्बर 1753,1755, 1783, ग्राम सिरसी, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। 2. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक है अतः पर्यावरण का अनापत्ति प्रमाण 	

			<p>पत्र लिया जावे।</p> <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>	
6.	92.6	<p>खसरा नम्बर 722, 723, ग्राम सिरसी, सिरसी रोड, जयपुर के निर्मित आवासीय फ्लेट्स के अधिवास प्रमाण पत्र बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मुख्य द्वार पर 3.95X3.90 मीटर का बिना छत का कमरा निर्मित है जिसे हटवाया जावे। 2. मुख्य द्वार के दांयी ओर 10 फीट ऊँचे कॉलम्स का निर्माण आर्किटेक्चरल फीचर्स बतौर किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये जावे जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। 3. मौके पर निर्मित कुछ बालकनी में एक तरफ रेलिंग लगाई गई है दूसरी तरफ रेलिंग का कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसे पूरा करवाया जावे एवं सौर ऊर्जा उपकरण का कार्य पूर्ण करवाया जावे। <p>उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण होने पर प्रकरण समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जावे।</p>	
7.	92.7	<p>खसरा नम्बर 749, ग्राम जयसिंहपुरा तहसील जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लेट्स (ग्रुप हाउसिंग) के भवन भानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>	
8.	92.8	<p>भूखण्ड संख्या-4, इन्द्रा प्लेस मालवीय नगर के एमएसएल स्तर के संबंध में निर्णय बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि जविप्रा द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा भवन की ऊँचाई निर्धारित किये जाने के संदर्भ में एमएसएल लेवल 408.0 मीटर पत्र में अंकित किया गया था। जिसके अनुसार नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा भवन की</p>	

अधिकतम ऊँचाई 21.96 मीटर अनापत्ति प्रमाण दी गई है। आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर से सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा पुनः एमएसएल लेवल का निर्धारण करवाया गया जिसके क्रम में सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा पत्र क्रमांक: त-8057/42-सी-3 दिनांक 04.11.2009 में एमएसएल लेवल 397.45 अंकित किया गया है। बीपीसी की बैठक दिनांक 15.01.2010 में राज्य सरकार से परिवर्तित एमएसएल बाबत दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 09.02.2010 में प्रति उत्तर प्रेषित किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि एमएसएल का निर्धारण सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा किया गया है जिसे अधिकृत रूप से स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु जविप्रा स्तर से निर्णय किया जावे। उल्लेखनीय है कि समीपवर्ती क्षेत्र में 30.0 मीटर ऊँचाई के अन्य भवन जैसे आन्नद फोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड पार्क व कॉरपोरेट टॉवर स्वीकृति प्राप्त कर मौके पर निर्मित हैं जो कि एयरपोर्ट से नजदीक हैं। अतः सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा दिये गये वर्तमान एमएसएल लेवल 397.45 मीटर के संबंध में नागरिक उड्डयन विभाग को समस्त तथ्य प्रस्तुत कर इस क्रम में संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन की ऊँचाई निर्धारण के क्रम में दिये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जावे। नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र में यदि भवन की ऊँचाई पुनः निर्धारित की जाती है तो तदानुसार भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) द्वारा लिये गये पूर्व निर्णय के आधार पर भवन मानचित्र अनुमोदन की कार्यवाही की जावे।

आयुक्त महोदय की अनुमति ने निम्न अतिरिक्त एजेण्डाओं पर विचार विमर्श किया गया।

9. 92.9 खसरा नम्बर 247, 248, 249,

प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श

		<p>पार्ट 25/46, ग्राप सुदर्शनपुरा, टॉक रोड, लाल कोठी जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमादन बाबत।</p>	<p>पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नगत भूखण्ड में एक पुराना मकान बना हुआ है जिसे भवन निर्माण से पूर्व हटाये जाने बाबत अण्डरटेकिंग ली जावे। 2. अण्डरग्राण्ड वाटर टैंक 6.32X17.95 मीटर का डबल हाईट में प्रस्तावित किया गया है जिसका अन्यत्र उपयोग नहीं लिया जावेगा इस बाबत आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावे। 3. टैरेस फ्लोर पर स्विमिंग पूल का प्रस्ताव त्रुटिवश दिया गया है जिसके संबंध में वास्तुविद द्वारा अवगत करवाया गया। अतः मानचित्रों में संशोधन करवाया जावे। 4. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। 5. प्रस्तावित भवन की ऊचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>
10.	92.10	<p>व्यावसायिक रूपान्तरित भूखण्ड खसरा नम्बर 776/1, 778/1, 778/3, 777, 779/1, 779/2, 779/3, 786/1, व 776/1, 776/2, 786/1, 786/2, ग्राम सवाईगोटोर, जयपुर को पुनर्गठित किये जाने बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सगिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि अवाप्ति की कार्यवाही कार्यकारी समिति के निर्णय के अनुसरण में की गई थी अतः सर्वप्रथम अवाप्ति के संबंध में कार्यकारी समिति के स्तर पर पुनरावलोकन किया जाकर निर्णय लिया जावे। तत्पश्चात् प्रकरण पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।</p>
11.	92.11	<p>भूखण्ड संख्या 6, स्वेज फार्म,</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ</p>

		<p>न्यू सांगानेर रोड, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। 2. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे। <p>प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रकरण में समग्र प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाकर 15.0 मीटर ऊंचाई के भवन मानचित्र जारी कर दिये जावे एवं अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर शेष ऊंचाई के मानचित्र जारी कर दिये जावे। समिति द्वारा प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया गया।</p>	
12.	92.12	<p>पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 1 से 6 व 27 से 32 कुशल नगर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदक द्वारा सडक क्षेत्र में निर्मित बाउण्ड्रीवाल मानचित्र जारी से पूर्व हटवायी जावे। 2. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। 3. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति 	


			<p>प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>4. सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक 21477.80 वर्ग मीटर है अतः पर्यावरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे।</p> <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>	
13.	92.13	<p>खसरा नम्बर 1020, 1021, 1022, 1024, 1025/1112, ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा, तहसील सांगानेर जयपुर के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के सम्मक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा दिनांक 01.10.2009 को संशोधित मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था लेकिन प्रकरण माथुर आयोग को प्रेषित होने के कारण राज्य सरकार से दिशा-निर्देश पत्र दिनांक 09.11.2009 से मांग गये। राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.12.2009 से निर्देश दिये गये कि इस प्रकरण की आयोग से पत्रावली की फोटोप्रति प्राप्त कर अविलम्ब अग्रिम कार्यवाही की जावे। राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.01.2010 में भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक 29.03.2007 को बीपीसी(बीपी) की आयोजित बैठक में जिन प्रकरणों में मानचित्र अनुमोदन किया गया था परन्तु मानचित्र जारी नहीं किये गये, ऐसे मामलों में जहाँ भूमि का पट्टा जविप्रा द्वारा जारी कर दिया गया है उनमें नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही जारी रखी जावे। उपरोक्त प्रकरण भी इसी श्रेणी में आता है। तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा दिनांक 08.02.2010 में सूचना चाही गई जिसका प्रतिउत्तर भी दिनांक 24.02.2010 को प्रेषित किया जा चुका है।</p> <p>आवेदक द्वारा पी-1 व पी-2 दो भागों में प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव, भवन विनियमानुसार है अतः भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>	

14.	92.15	<p>भूखण्ड संख्या जी.एच-II योजना सनसिटी ग्राम नीदड जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। 2. प्रस्तावित भवन की ऊचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक 20,499.0 वर्ग मीटर है अतः पर्यावरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। <p>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।</p>	
15.	92.15	<p>खसरा नम्बर 330 व 331 ग्राम मदारु तहसील सांगानेर जयपुर के प्रस्तावित संस्थागत (महिला बी.एड. कोलेज) भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>	
16.	92.16	<p>खसरा नम्बर 507/2325, 508, 544, 444/2326, 484, 487, 490, 491, 492, 499, 500, 501/2328, 504, 510, 549/2331, 550, 485, 488, 496, 497, 498, 499/2493, 501, 501/2329, 503, 509, 513, 545, 546/2181, 549, 486, 489, 492/2327, 493, 494, 495, 502, 505, 506, 507, 512,</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मौके पर इन्जियरिंग ब्लॉक पूर्ण निर्मित है, ब्यायज हॉस्टल व एकेडमी ब्लॉक, भूतल पर पूर्ण एवं प्रथम व द्वितीय तल तक आधा निर्मित है। गर्ल्स हास्टल भूतल पर पूर्ण व प्रथम तल आधा निर्मित है। उपरोक्त निर्माण बिना अनुमति के किया गया है अतः भवन नियमबद्धता/नियमतिकरण 1989 के अनुसार बिना अनुमति 	

	547, 550/2330, 546, 511, ग्राम कूकरा तहसील आमेर जयपुर पर निर्मित व प्रस्तावित इन्जिनियरिंग कोलेज के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	निर्माण की शास्ति ली जावे। 2. अधिकतम निर्मित क्षेत्रफल 20,000.0 वर्ग मीटर से अधिक 26,849.0 वर्ग मीटर है अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।		
17.	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 5 से 10 वीर विहार, क्वीन्स रोड, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. पुनर्गठित भूखण्ड वीर विहार योजना के आवासीय भूखण्ड जिस पर एफएआर अधिकतम 1.2 देय है। एफएआर 1.2 से अधिक प्रस्तावित क्षेत्र हेतु नियमानुसार बैटरमेंट लेवी ली जावे। 2. आवेदित प्रस्ताव में टावरनुमा भवन का प्रस्ताव है भवन विनियम 2008 के विनियम 14(d) के अनुसार ऊपरी मंजिल पर छोड़े गये सैटबैक क्षेत्र को किसी फ्लेट्स अथवा कमरे से पहुँच प्राप्त नहीं होनी चाहिए (Non Accessible)। प्रस्ताव में तृतीय तल से नवम तल में चारों तरफ ओपन बालकनी को हटवाया जाकर मानचित्रों में संशोधन करवाया जावे। 3. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जाना होगा। 4. प्रस्तावित भवन की ऊचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ		

			पत्र लिया जाना प्रस्तावित है। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तों की पूर्ती पर जारी किये जावे।	
--	--	--	--	--

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


14/3/10
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति(बीपी),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 92 वीं बैठक दिनांक 25.02.2010 को मध्याह्न 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री सुधांशु पंत, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती गायत्री ए. राठौड़, सचिव, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्री एच. एस. संचेती, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्रीमती शुचि शर्मा, अति. आयुक्त (प्रशासन व एल.पी.सी), जविप्रा, जयपुर | सदस्य |
| 5. श्री शफी मोहम्मद कुरेशी, अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर | सदस्य |
| 6. श्रीमति दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि एवं अवाप्ति), जविप्रा, जयपुर | सदस्य |
| 7. श्रीमति लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) जविप्रा, जयपुर | सदस्य सचिव |

विशेष आमंत्रित :-

1. श्री गिरिश पाराशर, उपायुक्त जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री हृदेश शर्मा, उपायुक्त जोन-8, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री नीरज तिवाड़ी, उप नगर नियोजक (बीपीसी-बीपी) जविप्रा, जयपुर
4. श्री अनन्त देव टांक, उप नगर नियोजक, जोन-1, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (बीपी)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2010/डी-457

दिनांक : 4/3/2010

प्रतिलिपि निम्न कों अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक, पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त, पूर्व/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन-....., जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (बीपी)